मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एंव पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

(Guidelines regarding opening of New Non Govt. Colleges / New Faculties / New subjects and Continuation of running Courses)

स0क्र0	विषय	पृ0क्र0
1.	भूमिका	02
2.	आवश्यक शर्ते	03–09
3.	आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया एवं अंतिम तिथियां	10–11
4.	आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर पुर्नविलोकन (रिव्यू) व्यवस्था	12
5.	शुल्क विवरण	13–16
6.	संकाय/पाठ्यक्रम के लिए अनुमति	17 –18
7.	महाविद्यालय में शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियॉ	19–20
8.	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नवीन महाविद्यालय खोला जाना.	21
9.	आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रो में अचल सम्पत्ति में छूट	22
10	अन्य उत्तरवर्ती प्रक्रिया/ दिशा निर्देश	23–25
11	विद्यमान महाविद्यालयों में निरंतरता/नवीन पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों के लिये चैकलिस्ट (परिशिष्ट–1)	26–27
12	नवीन महाविद्यालयों हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों के लिये चैकलिस्ट (परिशिष्ट–2)	28–29
13.	अन्य अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होने एवं भूमि संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–3)	30
14.	20/10 किलोमीटर की परिधि में अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होने का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–4)	31
15.	20/10 किलोमीटर की परिधि में अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों/विषय समूहों की जानकारी का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–5)	32
16.	शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–6)	33
17.	शुल्क वापसी हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–7)	34
18.	ग्रामीण क्षेत्र में नवीन अशासकीय महाविद्यालय संचालित करने संबंधी प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–8)	35
19.	चालान एवं निर्धारित शीर्ष का प्रादर्श (परिशिष्ट–9)	36–37

–0–

भूमिका

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिये मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24(बारह) के अनुसार प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउन्सिल और कार्यकारी परिषद् शिक्षण संस्थाओं की संबंद्धता पर आयुक्त, उच्च शिक्षा की अनुमति के उपरांत ही विचार कर सकती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए स्तरीय अधोसंरचना, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ एवं उत्तम शिक्षा हेतु सक्षम अशासकीय महाविद्यालय खोले जावें।

जुलाई, 2016 एवं उसके बाद के वर्षो से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र में शुरू किये जाने वाले नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के लिये तथा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नये विषय/नई कक्षायें प्रारंभ करने के लिये मार्गदर्शिका एवं आवेदन पत्रों का प्रारूप कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा की बेबसाइट पर आवश्यक शर्तो के साथ अपलोड किया जाता है।

समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के तारतम्य में कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय/निरंतरता के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शर्तो की पूर्ति करने पर अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम–27 के अन्तर्गत विस्तृत निरीक्षण उपरांत नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान की जावेगी।

समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त/अप्राप्त महाविद्यालयों हेतु निर्धारित मार्गदर्शी प्रावधानों में शासन द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों एवं जारी किये गये आदेशों के तारतम्य में आवश्यक संशोधन किये जाते है। ये संशोधन एवं परिवर्तन समस्त अशासकीय महाविद्यालयों पर जारी होने के दिनांक से लागू रहेगें। सत्र 2008–09 के पूर्व से संचालित समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त/अप्राप्त महाविद्यालयों पर चल अचल संपत्ति की शर्त लागू रहेगी।

अधिकार–राज्य शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा समय–समय पर स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में लिये गये निर्णयों के अनुरूप मार्गदर्शिका के संशोधन परिवर्धन की कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त,उच्च शिक्षा को अधिकृत किया जाता है।

<u>2. आवश्यक शर्ते</u>

नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन एवं पूर्व से संचालित सामान्य पाठ्यक्रमों की निरंतरता बनाये रखने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाती है (म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से शासित मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध पाठ्यक्रम जो किसी केन्द्रीय अधिनियम से विनियमित नहीं है, जिन्हें आगे **''सामान्य पाठ्यक्रम''** से उद्बोधित किया जाएगा) :—

(1) निर्धारित प्रक्रिया के तहत निश्चित की गई समय सीमा में पूर्ण शुल्क एवं समिति की मोहर सहित स्वप्रमाणित समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया हो,

(2) नियमानुसार एवं इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में वर्णित समस्त मापदण्डों की पूर्ति की गई हो,

मापदण्डों का विवरण निम्नानुसार है :—

(2.1) नवीन अशासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के संदर्भ में:—

परिनियमों 27 एवं 28 के प्रावधानों तथा निम्नानुसार कंडिकाएं (2.1.1) से (2.1.6) में जो भी लागू हों, का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(2.1.1) पंजीकरण :

(1) नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने वाली समिति, फर्म्स एंड सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटी, म.प्र. द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोकापी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(2) चेरिटेबल ट्रस्ट जो कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट द्वारा पंजीकृत हो, को कॉलेज संचालित करने की पात्रता होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कॉपी आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(3) रजिस्टर्ड सोसायटी /ट्रस्ट के पदाधिकारियों / सदस्यों के हस्ताक्षर की अभिप्रमाणित सूची भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगी।

टीप : यदि पंजीकृत समिति के सदस्य/कार्यकारिणी बदलती है तो उक्त परिवर्तित कार्यकारिणी की सूची रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्था से प्रमाणित यथा समय कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। तदुपरांत 8.3—(अ) कंडिका के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण कराना आवश्यक होगा

(2.1.2) सामान्य पाठ्यक्रम के अशासकीय महाविद्यालयों के लिये भवन–भूमि का स्वामित्व

भवन/भूमि की उपलब्धता एवं स्वामित्व के संबंध में सामान्य पाठ्यक्रम के लिये निम्न मानदण्डों (अ), (ब) तथा (स) में से किसी एक का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

(अ) <u>स्वयं के भवन में महाविद्यालय संचालित करने हेतु</u>

समिति के पास महाविद्यालय के लिये स्वयं का भवन **(समिति के नाम)** होना आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य के व्यक्तिगत नाम पर धारित संपत्ति समिति के लिये मान्य नहीं होगी। समिति के नाम से अचल सम्पत्ति के रजिस्टर्ड दान पत्र/विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की छायाप्रति एंव राजस्व अभिलेखों खसरा पांच साला/किश्तबंदी खतौनी/फार्म बी–1–द की प्रति, अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, खसरा, भूमि के डायवर्सन में शैक्षणिक प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र, भवन का निर्मित क्षेत्रफल के दस्तावेज एवं धारा–21 की अनुमति, भवन का शासकीय निकाय से अनुमोदित नक्शा आदि एवं दान में प्राप्त अचल संपत्ति का रजिस्टर्ड दानपत्र एवं राजस्व अभिलेखों में संबंधित अचल सपंत्ति की समिति के नाम पर नामांतरण संबंधी अभिलेखों की प्रामाणिक छायाप्रति संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने के लिये भवन निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव सहित भवन निर्माण की अनुमति एवं इसी प्रकार भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) <u>30 वर्षीय लीज के भवन में महाविद्यालय संचालित करने हेतु</u>

समिति के नाम से 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीजडीड में शैक्षणिक डायवर्सन का प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक तथा भवन का निर्मित क्षेत्रफल, आदि का उल्लेख होना अथवा तत्संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(स) <u>तीन वर्षीय रजिस्टर्ड किरायानामा में</u> <u>महाविद्यालय संचालित करने हेतु</u>

(1) जिस तहसील/विकास खण्ड/जिले में कोई भी अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है, मात्र उसी तहसील/विकास खण्ड/जिले में समिति को किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जावेगा। इस हेतु समिति को तहसील/विकास खण्ड/जिले में कोई भी अशासकीय महाविद्यालय संचालित होने/नहीं होने का संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किराये का भवन होने पर समिति के नाम से महाविद्यालय स्थल से 05 कि0मी0 की परिधि में नगरीय क्षेत्र में 02 एकड भूमि तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 05 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। (शासकीय अग्रणी महाविद्यालय का प्रस्तावित महाविद्यालय स्थल से भूमि का दूरी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)

(2) किराये का भवन होने पर उसे अधिकतम तीन वर्ष हेतु मान्य किया जावेगा तथा इस सम्पूर्ण अवधि का समिति के नाम का रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (नॉन जुडिसियल स्टाम्प पेपर अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया किरायानामा मान्य नहीं होगा) तीन सत्रों के पश्चात स्वयं का भवन निर्माण न करने पर समिति को दी गई अनुमति निरस्त की जायेगी। **किसी भी स्थिति में तीन सत्रों के पश्चात् किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।**

(3) समिति को निर्धारित अवधि में किराये के भवन से स्वयं के भवन में महाविद्यालय संचालन करने हेतु स्वयं के भवन/भूमि संबंधी समस्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति, पंजीकृत समिति का ठहराव प्रस्ताव, शपथ पत्र एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

टीप : ग्रामीण एवं आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं से संबंधित मानदण्ड पृथक कंडिकाओं 9 एवं 10 में भी उल्लेखित किए गए हैं, जो तदनुसार लागू होंगे।

(2.1.3) **केन्द्रीय अधिनियमों से विनियमित पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये नवीन <u>अशासकीय महाविद्यालयों के लिये भवन–भूमि का स्वामित्व</u>**

एन0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0 आदि परिषदों से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों में नवीन महाविद्यालय स्थापित किये जाने वाले क्षेत्रों के लिये भूमि/भवन संबंधी पूर्तियां संबंधित

परिषदों के नियमों/मापदण्डों के अनुसार करना अनिवार्य है। प्रमाण हेतु राजस्व अभिलेख, महाविद्यालय भवन का नक्शा मय निर्मित क्षेत्रफल एवं भूमि का क्षेत्रफल दर्शाते हुये क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकृत स्थानीय निकाय द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है। आवश्यक भू–अभिलेख यथा खसरें की प्रतिलिपि, नक्शा एवं ऋण पुस्तिका की प्रति इत्यादि प्रस्तुत करना होगा।

(2.1.4) <u>समिति के महाविद्यालय भवन हेतु मानदण्ड</u>

नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने या नवीन परिसर में विद्यमान महाविद्यालय स्थानांतरित किए जाने हेतु महाविद्यालय परिसर के संबंध में समान मानदण्ड होंगे। महाविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कम से कम 4000 वर्गफिट होना अनिवार्य होगा। जिसमें से 60 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल (नियमानुसार कम से कम 5000 वर्गफिट) होना अनिवार्य होगा एवं 40 प्रतिशत खुली भूमि होने पर ही अनुमति प्रदान की जावेगी। (दस्तावेजों में निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख होना आवश्यक है।)

उक्त अनिवार्य निर्मित क्षेत्रफल में मात्र 02 स्नातक स्तर के संकाय की अनुमति ही प्रदान की जा सकेगी। दो संकाय के अतिरिक्त प्रति स्नातक स्तर के संकाय हेतु 2,000 वर्गफिट का अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है। उक्त मापदण्ड की पूर्ति पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा करने पर ही नवीन संकाय की अनुमति प्रदान की जावेगी। इसी प्रकार प्रति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु 1000 वर्गफिट अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है। भवन का पूर्ण विवरण स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित नक्शे के साथ भवन समिति/ट्रस्ट के स्वामित्व में होने संबंधी प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त निर्मित भवन एवं परिसर में निम्नानुसार संरचना अनिवार्य है :–

1. **प्राचार्य कक्ष**
2. **कार्यालय कक्ष**
3. **स्टाफ कक्ष**
4. **ग्रंथालय कक्ष**
5. **छात्राओं के लिये कक्ष**
6. **स्पोर्ट्स/एन सी सी/एन एस एस कक्ष**
7. **प्रयोगशालाएं प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिये**
8. **प्रत्येक संकाय में जितने विषय पढ़ाये जाने हों, 80 विद्यार्थी प्रति व्याख्यान कक्ष के मान से उतने व्याख्यान कक्ष**
9. **खेल मैदान**
10. **महाविद्यालय तक छात्र–छात्राओं के आवागमन एवं वाहन पार्किंग की पर्याप्त सुविधा होना आवश्यक है।**

(2.1.5) नवीन अशासकीय महाविद्यालय के दूरी संबंधी मापदण्ड

(क) नवीन महाविद्यालय प्रांरभ किये जाने की अनुमति प्रदान करने के लिये आवश्यक होगा कि आवेदित पाठ्यक्रमों/विषय समूह को संचालित करने वाले अन्य अशासकीय महाविद्यालय 20 किलोमीटर की परिधि में नहीं है। इस हेतु कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–4 अनुसार) एवं अग्रणी महाविद्यालय का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–5अनुसार) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

परन्तुक

(i) यह बाध्यता आदिवासी तथा अनुसूचित क्षेत्रों/कन्या महाविद्यालयों/पूर्ण आवासीय या न्यूनतम 200 सीटों वाले छात्रावासयुक्त महाविद्यालयों के लिये 10 किलोमीटर की होगी।

परन्तुक

(ii) सकल पंजीयन अनुपात (जीईआर) अल्प होने के कारण जिन जिलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेज पापुलेशन इंडेक्स (सी.पी.आई.) का मान 8 या इसमें कम होना दर्शाया गया है, उन जिलों के लिये उपरोक्तानुसार दूरी की बाध्यता नहीं होगी। इन जिलों के नाम निम्नानुसार है :–

श्योपुर, शिवपुरी, गुना, डिण्डोरी, सिवनी, बड़वानी, धार, झाबुआ, शाजापुर, नीमच, राजगढ़, टीकमगढ़, पश्चिम निमाड़।

(ख) विगत अकादमिक सत्र में जिन पाठ्यक्रमों में कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक सीट पर प्रवेश नहीं हुये है उस क्षेत्र में आवेदित नवीन पाठ्यक्रमों की अनुमति पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व विभाग की वेबसाइट पर विगत सत्र के प्रवेश की जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) समान स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कन्या महाविद्यालय, तदुपरांत पूर्ण आवासीय महाविद्यालय, तदुपरांत छात्रावासयुक्त महाविद्यालय को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता दी जा सकती है।

(2.1.6) अन्य आवश्यक मानदण्ड –

1– नवीन महाविद्यालय भवन में स्वयं का खेल मैदान उपलब्ध नहीं होने पर महाविद्यालय भवन से 02 कि0मी0 की परिधि में खेल मैदान को उपलब्धता कराना

होगा। इस हेतु समिति को संबंधित अनुबंध की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2– समिति/ट्रस्ट यदि ग्रामीण क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करती है तो ग्रामीण क्षेत्र संबंधी पंचायत के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं समिति/अध्यक्ष/सचिव का नोटरी द्वारा शपथ पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– सभी दस्तावेज अध्यक्ष/सचिव/महाविद्यालय के नाम से न होते हुए समिति के नाम होना चाहिये तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्धारित परिषदों के द्वारा स्थापित मापदण्डों के पूर्णतया अनुकूल होना चाहिये। आकस्मिक निरीक्षण में इन अर्हताओं की पूर्ति न होने पर कालेज की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र/संबद्धता समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय को होगा।

4– पर्याप्त फर्नीचर व अन्य आवश्यक सामग्री, पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण प्रत्येक संकाय में वर्षवार विषयों में प्रत्येक विषय की निर्धारित संख्या में पुस्तकें, कम्प्यूटर, टेलीफोन सुविधा, पेयजल, टॉयलेट सुविधाएंव खेल–सामग्री आदि की उपलब्ध होनी चाहिये। कॉलेज परिसर स्वच्छ हो व इसके आसपास कोई भी नशीले पदार्थों का विक्रय क्रेन्द्र या असामाजिक तत्व नहीं होने चाहिये। इस विषय में मापदण्डों का पालन सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किये गये मापदण्डों का पूर्ण परिपालन करना भी अनिवार्य होगा। **उच्च शिक्षा विभाग आवश्यक होने पर उपरोक्त संसाधनों के भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण समिति गठित करेगा एवं नियमानुसार प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।**

5– यदि महाविद्यालय छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है तो छात्रावास में छात्रों के लिये 10X12 फुट (120 वर्ग फिट) प्रति विद्यार्थी के मान से स्थान, 6 विद्यार्थी के मान से टायलेट एवं स्नानागार रखना अनिवार्य होगा तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों का पंजीकरण नजदीक के पुलिस थाने में कराया जाना होगा। उपरोक्त पात्रताओं की पूर्ति न करने पर छात्रावास को राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा खाली कराया जा सकता है।

6– प्रत्येक महाविद्यालय के लिये अपना स्वयं अथवा 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज /किराये का पृथक भवन एवं परिसर अनिवार्य होगा, जिसमें कोई अन्य संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यदि समिति उसी महाविद्यालय परिसर में अन्य पाठ्यक्रम एनसीटीई/बीसीआई आदि से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करती है तो परिसर में पृथक–पृथक भवन/स्टाफ आदि की अनिवार्य व्यवस्था की पुष्टि पर ही अनुमति/अनुशंसा दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

7– एक ही समिति द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ करने वाले महाविद्यालयों के लिये नवीन महाविद्यालय हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।

8– अचल सम्पत्ति की लीज की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना समिति की जवाबदेही होगी अन्यथा सम्पत्ति समिति के नाम मान्य नहीं होगी एवं अर्हता पूर्ण न होने के कारण समिति की अनुमति समाप्त कर दी जायेगी।

9– समिति को अचल सम्पत्ति समिति के नाम से क्रय–विक्रय करने के संबंध में मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 21 के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश, की स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

3. आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रकिया एवं अंतिम तिथियां

3.1 आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रकिया

(विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार)

सामान्य पाठ्यक्रमों के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या पूर्व से संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों हेतु निरंतरता की संबद्धता प्राप्त करने के लिये विधिक आवश्यकता के तहत आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में समस्त आवेदन ऑनलाईन ही निर्धारित प्रकिया एवं तिथि के अन्दर प्राप्त किये जाएंगे। पृथक प्रकिया से या तिथि के अवसान के उपरांत प्राप्त आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे एवं यदि किसी संस्था द्वारा निर्धारित तिथि के उपरांत शुल्क जमा कर डाक/हस्ते द्वारा आवेदन दिया जाता है तो समस्त शुल्क राजसात कर लिया जाएगा। आवेदन संबंधित समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा समिति को ही समस्त कियाविधि के लिये आवेदक के रूप में जाना जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन की प्रकिया के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा पृथक से आवेदक समिति/ट्रस्ट के लिए कियाविधि को स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। संक्षिप्त में प्रकिया के चरण निम्नानुसार होंगे –

1. ऑनलाईन आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय तक आमंत्रित किया जाना।
2. आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट समस्त वांछित संलग्नकों, चेकलिस्ट एवं निर्धारित शुल्क के मूल चालान के साथ जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय को निर्धारित तिथि में प्रस्तुत करना होगा। चालान से निर्धारित मद में ही शुल्क जमा करना होगा अन्यथा शुल्क मान्य नहीं होगा। वांछित दस्तावेजों के उल्लेख के साथ चैकलिस्ट मार्गदर्शिका में दर्शाई गई है, जिसके अनुसार दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की जानकारी को मूल दस्तावेजों से सत्यापित करते हुए आवेदन की मूल प्रति समस्त संलग्नकों एवं मूल चालान के साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा (संबद्धता शाखा) में आवेदन के लिये निर्धारित तिथि के अवसान के बाद 03 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना।
4. सभी दस्तावेज विद्यमान महाविद्यालय हेतु **परिशिष्ट–1** एवं नवीन महाविद्यालय हेतु **परिशिष्ट–2** अनुसार हस्ताक्षरित/सत्यापित करते हुए प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
5. शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापित तथा कार्यालय में प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत पाई गई कमियों की पूर्ति कराये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी पूर्ति संस्था को 15 दिवस के भीतर करना अनिवार्य होगा। उक्त समस्त पूर्तियां निर्धारित तिथि में

होने के पश्चात् परीक्षणोपरांत मान्य/अमान्य पाये जाने पर सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

3.2 म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (XII) एवं परिनियम 27 के तहत निर्धारित तिथियां

3.2.1 वाणिज्य/कला/विज्ञान/अन्य सामान्य पाठ्यक्रम

(1) नवीन/विद्यमान महाविद्यालय में स्नातक के नये विषय प्रारंभ एवं द्वितीय/तृतीय वर्ष/स्नातकोत्तर के उत्तरार्द्ध की कक्षाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	30 नवम्बर, 2015
(2) निर्धारित तिथि के पश्चात् विलम्ब शुल्क (रू. 15000) सहित ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	31 दिसम्बर, 2015
(3) लॉ पाठ्यक्रमों हेतु **ऑनलाईन** आवेदन करने की अंतिम तिथि	01 जनवरी, 2016
(4)अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने/अमान्य करने की अंतिम तिथि	28 फरवरी, 2016

3.2.2 समन्वय समिति की 89 वीं बैठक के निर्णय दिनांक 25.6.14 अनुसार एनसीटीई से संबंधित पाठ्यक्रम हेतुः–

(1)	एनसीटीई से संबंधित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10 मार्च, 2016
(2)	औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने/अमान्य करने की अंतिम तिथि	30 मार्च, 2016

3.2.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 110/सीसी/अडतीस/14 दिनांक 29.1.14 अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (15–2008) की धारा–33 (ट) के प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये परिनियम–7 की कंडिका–2,3 (ए) के तहत् अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय हेतु निर्धारित तिथियॉ सामान्य पाठ्यक्रमों के अनुसार मान्य होगी।

4. आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर पुनर्विलोकन (रिव्यू) व्यवस्था

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवेदन न पाये जाने पर अस्वीकृत किये जाएंगे तथा रिव्यू व्यवस्था के तहत समिति के द्वारा कमियों की पूर्ति करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुशंसा प्रमाण जारी किया जा सकेगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार सत्र 2008–09 से अपील का प्रावधान समाप्त करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा पुनर्विलोकन (रिव्यू) कार्य सम्पन्न किया जाता है जिसके लिये आवेदक समिति रिव्यू का आवेदन कर सकती है।

प्रथम रिव्यू निःशुल्क होगा परन्तु द्वितीय रिव्यू हेतु शुल्क रूपये 35,000/–(रूपये पैंतीस हजार) का चालान आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है, जो वापसी योग्य नहीं होगा। द्वितीय रिव्यू की तिथि के पश्चात् वर्तमान सत्र में अनुमति के प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि शैक्षणिक सत्र के निर्धारित दिवसों की पूर्ति करना संभव नहीं होगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों हेतु विभाग द्वारा औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अतः यह व्यवस्था उक्त पाठ्यक्रमों में लागू नहीं रहेगी।

नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय एवं निरंतरता के लिये रिव्यू की अंतिम तिथियॉ निम्नानुसार रहेगी :–

रिव्यू किए जाने की अंतिम तिथि

(1)	प्रथम रिव्यू में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	10 मार्च, 2016
(2)	प्रथम रिव्यू में ऑनलाईन आवेदन मान्य/अमान्य पर विचार कर मान्य/अमान्य किये जाने की अंतिम तिथि	25 मार्च, 2016
(3)	द्वितीय रिव्यू में ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि (निर्धारित शुल्क रूपये 35,000/– के चालान सहित)	05 अप्रैल, 2016
(4)	द्वितीय रिव्यू में ऑनलाईन आवेदन मान्य/अमान्य पर विचार कर मान्य/अमान्य किये जाने की अंतिम तिथि	15 अप्रैल, 2016

टीप : 1. संस्था यदि प्रथम रिव्यू में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करती है तो द्वितीय रिव्यू में निर्धारित तिथि एवं शुल्क सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जावेगा।

5. शुल्क विवरण

(अ) नवीन महाविद्यालय हेतु आवेदन शुल्क

नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन शुल्क नगर–निगम सीमा में रूपये 6.25 लाख, नगर–पालिका/नगर पंचायत में 5.00 लाख तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में राशि रूपये 2.75 लाख होगा। नवीन कन्या महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु नवीन महाविद्यालय शुल्क रूपये 2.75 लाख मान्य होगा किन्तु यह महाविद्यालय मात्र छात्राओं के लिये ही संचालित किया जावेगा। यह राशि अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान द्वारा उच्च शिक्षा के निर्धारित मद में जमा कराना अनिवार्य होगा। चालान प्रपत्र में सत्र का उल्लेख आवश्यक है।

(ब) नवीन एवं विद्यमान महाविद्यालयों हेतु पाठ्यक्रम/विषयों का शुल्क विवरण

महाविद्यालयों द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम/विषय का निर्धारित शुल्क भी चालान द्वारा जमा करना होगाः–

(1) स्नातक स्तर पर एक संकाय के चार विषयों के लिये –(आधार पाठ्यक्रम सहित तीन विषयों के लिये)

प्रथम वर्ष –	रू. 25,000/–
द्वितीय वर्ष –	रू. 25,000/–
तृतीय वर्ष –	रू. 25,000/–
प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये –	रू. 10,000/–

(2) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय के लिये –

पूर्वार्द्ध –(प्रति विषय)	रू. 25,000/–
उत्तरार्द्ध –(प्रति विषय)	रू 25,000/–

(3) डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए (एक वर्ष के लिये) — रू. 25,000/–

(4) एड–ऑन कोर्स (यू.जी.सी.द्वारा स्वीकृत) (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा) (एक वर्ष के लिये) — रू. 25,000/–

(5) अन्य परिषद से संबंधित पाठ्यक्रम
(एन.सी.टी.ई. एवं बार कौंसिल आफ इण्डिया आदि) — रू. 35,000/–

(स) <u>शुल्क संबंधी अन्य विवरणः–</u>

(1) नवीन/विद्यमान महाविद्यालय हेतु विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक महाविद्यालय/पाठ्यक्रम शुल्क 5–(अ) एवं (ब) अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् समस्त शुल्कों में आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत की बढोत्तरी की जावेगी।

(3) सभी प्रकार के शुल्क कोषालय में चालान द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व जमा किये जाएगें। चालान की एक मूल–प्रति तथा 02 सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ **संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महा0 को समस्त दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा**। चालान में पूर्ण विवरण जैसे शीर्ष का नाम, समिति का नाम, आवेदित पाठ्यक्रम/विषय का नाम, बैंक का नाम, तिथि एवं सत्र का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। (मार्गदर्शिका में संलग्न प्रारूप अनुसार)

<u>चालान हेड निम्नानुसार होगा</u> :–

0202 शिक्षा/खेल/कला एवं संस्कृति

01 सामान्य शिक्षा

103 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा/अन्य शुल्क /सम्बद्धता शुल्क

(4) 1/ समिति को एक बार दी गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पश्चात कोई यदि जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो तत्काल अनुमति निरस्त की जाएगी। ऐसी स्थिति में समिति के द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जाएगी ।

2/ पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में यूजी/पीजी संकाय पूर्ण होने के उपरांत संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता बनाये रखने हेतु प्रति वर्ष राशि रूपये 1,000/–(एक हजार) प्रति संकाय जमा करना अनिवार्य होगा।

3/ उक्त निरंतरता शुल्क समय पर जमा न करने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र समाप्त कर दी जायेगी।

(5) सत्र 2016–17 एवं आगामी सत्रों में यदि प्रारंभ होने वाले नवीन अशासकीय महाविद्यालय के शासी गठित समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (क्रिमिलेयर को छोडकर) का अध्यक्ष हो तो नवीन महाविद्यालय एवं

पाठ्यक्रम शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र (प्राचार्य,शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापित) प्रस्तुत करने पर ही उपरोक्त वर्गो के आवेदको को छूट रहेगी।

(द) <u>शुल्क वापसी</u>

(1) यदि समिति आवेदन करने के पश्चात तथा अनुमति मिलने के पूर्व स्वयं अपना आवेदन वापस लेती है तो समस्त जमा शुल्क का 25 प्रतिशत एवं यदि मानदण्डों की पूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं करने पर प्रशासकीय कारण मानते हुए आवेदन अस्वीकृत होता है, तो अमान्यता से संबंधित बिन्दुओं के समस्त शुल्क का 10 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि नियमानुसार वापस की जावेगी। इसके लिये समिति को आवेदन अमान्य किए जाने की तिथि से 06 माह के अंदर शुल्क वापसी का आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शुल्क वापसी के आवेदन के साथ 50/—रूपये का शपथ पत्र (नोटरी से) एवं पंजीकृत समिति का ठहराव प्रस्ताव की मूल प्रति जिस पर पंजीकृत समिति के सभी सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समिति द्वारा गलत जानकारी अथवा जानबूझकर भ्रम पैदा करने वाले या असत्य अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आवेदन निरस्त होने पर कोई शुल्क वापस नहीं होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात शुल्क वापसी का आवेदन विचार योग्य नहीं होगा तथा राशि राजसात (Time barred) ही मानी जावेगी।

(2) समिति को आयुक्त, उच्च शिक्षा के कार्यालय द्वारा नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने के उपरांत यदि समिति महाविद्यालय/पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करती है तो जमा किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

(3) समिति का पूर्व में कोई भी जमा शुल्क का समायोजन मान्य नहीं होगा। आवेदित पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। समिति द्वारा अधिक जमा राशि पूर्ण रूप से वापसी योग्य है। इसके लिये पृथक से विधिवत 06 माह में शुल्क वापसी के लिये निर्धारित पूर्तियों सहित आवेदन कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) यदि समिति का प्रकरण लंबित है तथा ऐसी स्थिति में निराकरण पश्चात् प्रकरण अमान्य किया जाता है तो अमान्य किए जाने की तिथि से दो माह के अंदर शुल्क वापसी हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई राशि राजसात की जावेगी।

(5) समिति द्वारा जमा किया गया विलंब शुल्क, दाण्डिक शुल्क एवं रिव्यु शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

(ई) संयुक्त एफडीआर के ब्याज की राशि के भुगतान संबंधीः–

पूर्व संचालित महाविद्यालयों के संदर्भ में समिति द्वारा जमा संयुक्त एफडीआर के ब्याज की राशि का भुगतान किये जाने हेतु समिति को आवेदन के साथ 50/–रूपये के शपथ पत्र (नोटरी से) एवं पंजीकृत समिति का ठहराव प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न करना होगा। समिति यदि मूल ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करती है तो उसे ठहराव प्रस्ताव की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर जिस पर पंजीकृत समिति के सभी सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. संकाय/पाठ्यक्रम के लिये अनुमति

1— संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदित अध्यादेश/विषय समूहों के आधार पर मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा (निजी विश्वविद्यालयों को छोडकर)जो पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) अशासकीय महाविद्यालयों हेतु मान्य है, की अनुमति कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय में संचालित आवेदित समूहो की विवरणिका एवं अनुमोदित अध्यादेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित अर्हता अनुसार ही पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की जायेगी।

2— समिति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि आवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है।

3— नये प्रारम्भ होने वाले महाविद्यालय को केवल स्नातक स्तर के संकायो की मंजूरी की पात्रता होगी। विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय दिनांक 24.7.2004 के अनुसार विद्यमान महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के तीन वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) पूर्ण होने के उपरान्त केवल उन्ही विषयों/संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की ात्रता बनेगी, जिन्हें तीन वर्ष तक महाविद्यालय में पढाया गया हो।

4— समिति को दी गई अनुमति के पश्चात् यदि समिति एक से अधिक वर्षो तक द्वितीय एवं तृतीय तथा उत्तरार्द्ध के पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्राप्त नहीं करती है या महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश निरंक रहता है तो ऐसी स्थिति में समिति को गत वर्षो का संबंधित विश्वविद्यालय से जीरो सत्र का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही अनुमति देने पर विचार किया जाना संभव होगा। यदि समिति विश्वविद्यालय का जीरो सत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है तो समिति को राशि रूपये 35,000/—(रूपये पैतीस हजार) चालान द्वारा दांडिक शुल्क के रूप में आवेदित पाठ्यक्रमों की निरंतरता की अनुमति के लिये आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5— अन्य परिषद जैसे बार कौंसिल ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित पाठ्यक्रम हेतु आवेदित समितियों को संबंधित विभाग/परिषद की यथास्थिति अनुमति एवं चेक लिस्ट अनुसार आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, तत्पश्चात् ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा।

6— अनुमति उपरान्त समिति महाविद्यालय प्रारंभ नहीं करना चाहती है या पूर्व से संचालित महाविद्यालय को बन्द करना चाहता है तो, कारणों का उल्लेख करते हुये आयुक्त, उच्च

शिक्षा को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव औचित्य सहित समिति के निर्णय (ठहराव प्रस्ताव) की मूल प्रति संलग्न करनी होगी जिस पर पंजीकृत समिति के फर्म्स एवं सोसाइटी से अनुमोदित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस संबंध में सस्था के अध्यक्ष/सचिव की ओर से नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि समिति/महाविद्यालय पर किसी कर्मचारी/समिति/छात्र अथवा शासन का कोई देय बकाया नहीं है। राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में महाविद्यालय बंद करने का औचित्य सहित विज्ञप्ति की मूल प्रति भी संलग्न करनी होगी। बिना अनुमति महाविद्यालय बन्द करने पर समिति ब्लेक लिस्ट मानी जावेगी और समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय को भविष्य में बंद करने पर समस्त वैधानिक जिम्मेदारी समिति की होगी। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम चलाये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी ।

7— महाविद्यालय बंद होने अथवा म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से मुक्त होने पर संस्था द्वारा चल सम्पति के रुप में जमा की गई संयुक्त एफ.डी.आर. को आयुक्त, उच्च शिक्षा के लियन से मुक्त किया जायेगा।

8— समन्वय समिति के निर्णय अनुसार समिति को संचालित पाठ्यक्रम/संकाय बंद करने के संबंध में सीधे राज्य शासन/संबंधित विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा ही पाठ्यक्रम/संकाय आगामी सत्र से बंद करने की अंतिम अनुमति दी जावेगी परन्तु, बंद करने के पूर्व महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

7. महाविद्यालय में शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ

किसी पाठ्यक्रम/विषय में निर्धारित या चाही गयी सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में यू.जी.सी. के मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय के परिनियम–28 (कॉलेज कोड–28) के तहत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए।

विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पूर्व कोड–28 के अन्तर्गत नियुक्त संकाय अनुसार सदस्यों के नाम, फोटो एवं डिग्री की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि सहित नियुक्ति पत्र तथा पदभार ग्रहण संबंधी जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है:–

1. (अ) महाविद्यालय में सत्र की कक्षाएँ प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भरती नियम, 1979) तथा संशोधित भर्ती नियम, परिनियम–28 (कॉलेज–कोड) के अंतर्गत लागू स्थिति में योग्यताओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की जानी होगी।

   (ब) प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण–कालिक हो ।

   (स) स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय में प्रत्येक सेक्शन के लिये कम से कम एक सहायक प्राध्यापक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक कक्षा/विषय के अनुसार पृथक–पृथक प्राध्यापकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। खेलकूद गतिविधियों के लिये क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त हो ।

   (द) अशैक्षणिक स्टाफ के अंतर्गत लायब्रेरियन, मुख्यलिपिक, लेखापाल, न्यूनतम दो निम्न श्रेणी लिपिक, प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये कम से कम एक–एक प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, सफाई कर्मचारी व चौकीदार की नियुक्ति हो । नियुक्ति उपरान्त समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का वेतन भत्तों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

2. विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक सेक्शन में प्रवेश हेतु छात्र संख्या यू.जी.सी. के मापदंडों के अनुसार अथवा पाठ्यक्रमों से संबंधित कौंसिल/केन्द्रीय परिषद्/राज्य परिषद के मापदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित की जाएगी। आवेदन के समय आवेदित पाठ्यक्रम में कितने सेक्शन व प्रत्येक में अधिकतम प्रवेश योग्य छात्र संख्या मापदण्डानुसार दर्शा कर आवेदन करना होगा। इस अनुसार ही अधोसंरचना–सुविधाओं की पर्याप्तता का निरीक्षण करवाया जावेगा।

3. नियुक्त किये गये स्टाफ की फोटो, प्रमाण (आवेदन पत्र में वर्णित) पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि एवं बैंक एकाउण्ट सत्र प्रारंभ होने के 07 दिवस के अंदर आयुक्त उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय को देना अनिवार्य होगा।

4. महाविद्यालय द्वारा कॉलेज कोड–28 के तहत नियुक्ति नहीं करने पर आगामी वर्ष में महाविद्यालय संचालन/पाठ्यक्रम निरंतरता संबंधी अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी जिसका सम्पूर्ण दायित्व महाविद्यालय/समिति/ट्रस्ट का होगा एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

5. स्टाफ के वेतन भत्ते :– महाविद्यालयों के समस्त स्टाफ के वेतन भत्ते एवं अन्य भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने संबंधी प्रमाण अभिलेख समिति को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नवीन महाविद्यालय संचालित करना

1. राज्य शासन की यह नीति है कि नये महाविद्यालय खोलने की मंजूरी उन संस्थाओं को दी जावेगी जिनकी वित्तीय स्थिति आवेदन करते समय मजबूत हो। किराये के भवन में नवीन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अचल संपत्ति बाबत् यह शर्त है कि भवन या भूमि समिति के नाम उसी स्थान पर होना आवश्यक है जहाँ महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना है।

2. राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने के लिये उन्हें कंडिका 2.1.2 (स) (1) में उल्लेखित अचल सम्पत्ति की अनिवार्यता में 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। इस छूट के लिये निर्धारित शुल्क रूपये 2,500.00 (रूपये दो हजार पांच सौ) के साथ आवेदन देना होगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अल्प संख्यक घोषित करने के संबंध में संबंधित विभाग/संस्था का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का आशय यह कदापि नहीं लगाया जाना चाहिये कि राज्य शासन अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को अधोसंरचनाविहीन कालेज में पढ़ने के लिये बाध्य कर रहा है। इसलिये यह भी निर्णय लिया गया है कि यह छूट केवल दो साल के लिये ही रहेगी। छूट की अवधि के दौरान नये विषय नहीं खोले जायेंगे और दो साल के अंदर अगर महाविद्यालय के लिये पर्याप्त अचल सम्पत्ति जुटाने में समिति असमर्थ रहती है तो आयुक्त, उच्च शिक्षा व्दारा दी गई मंजूरी समाप्त हो जाएगी।

4. इस प्रयोजन के लिये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

   (1) समिति के सभी पदाधिकारी/कार्यकारी समिति के सदस्य अनिवार्य रूप से संबंधित धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होगें। अगर इसमें कोई अपवाद होता है तो वह समिति अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शासित नहीं मानी जायेगी । अल्पसंख्यक विभाग के आयुक्त का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

   (2) छात्रों के प्रवेश संबंधी संविधान के 93वें संशोधन अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक श्रेणी तथा 50 प्रतिशत स्थान अन्य श्रेणी का रहेगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग का बंधन नहीं होगा।

5. अगर कोई समिति इन शर्तो को पूरा करती है तो वह संभाग (जहाँ महाविद्यालय स्थापित है/किया जाना है) के कमिश्नर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसे अचल सम्पत्ति की अनिवार्यता से छूट के लिये निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगी।

9. आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति में छूट

1. राज्य शासन की यह नीति है कि नये महाविद्यालय खोलने की मंजूरी उन संस्थाओं को दी जावेगी जिनकी वित्तीय स्थिति आवेदन देते समय मजबूत हो। नये महाविद्यालय की स्थापना संबंधी अन्य शर्तो के साथ अचल संपत्ति बाबत् यह शर्त है कि स्वयं का भवन न होने पर अचल संपत्ति के रूप में भूमि नगरीय क्षेत्र में 02 एकड़ तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 05 एकड़ समिति के नाम से महाविद्यालय स्थल से 05 कि0मी0 की परिधि में होना आवश्यक है।

2. राज्य शासन ने संस्थाओं पर वित्तीय भार को कम करने एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्न क्षेत्रों में उक्त अचल सम्पत्ति की शर्तो में 3 वर्ष की स्थायी छूट देने का निर्णय लिया हैः–

   (क) समस्त आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र

   (ख) ऐसे जिले जहां अनुसूचित जाति की आबादी 20 प्रतिशत या इससे अधिक है।

3. महाविद्यालय संचालन के 03 वर्ष पूर्ण होने पर समिति को महाविद्यालय का संचालन स्वयं के भवन में करना अनिवार्य होगा। स्वयं के भवन में महाविद्यालय संचालित करने की पूर्ति के अभाव में अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, यदि समिति अचल सम्पत्ति के प्रावधानों की पूर्ति कर देती है तो अनुमति जारी रखने की कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग के नियम/निर्देशानुसार की जावेगी। 03 वर्ष की समयसीमा में वृद्धि किसी भी स्थिति में मान्य नहीं की जावेगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक, कर्मचारी, लायब्रेरी और उपकरण इत्यादि में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। निजी संस्थाओं को उक्त क्षेत्रों में महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तत्संबंधी संस्थाओं के अधिकृत अधिकारी/समिति का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावित स्थल उपरोक्तानुसार उल्लेखित क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है।

10. अन्य उत्तरवर्ती प्रक्रिया / दिशानिर्देश

(1) महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन करने बाबत् :–

संचालित महाविद्यालय का स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत) की सीमा में सामान्यतः स्थानांतरण मान्य होगा किन्तु महाविद्यालय का स्थानांतरण संबंधित स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर अपरिहार्य कारणों से किया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय की परिधि से अधिकतम 2 किमी की दूरी तक ही स्थानांतरण मान्य होगा। परिधि से 2 किमी की दूरी तक स्थानांतरण की स्थिति में समिति को नियमानुसार नवीन महाविद्यालय शुल्क के साथ शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से दूरी संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समिति द्वारा महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) चालान द्वारा निर्धारित मद में जमा कर पंजीकृत समिति के ठहराव प्रस्ताव के साथ रूपये 50/–का शपथ पत्र, नवीन स्थानांतरित महाविद्यालय भवन के समस्त पंजीकृत दस्तावेज कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करने के पश्चात् सुनवाई में मूल दस्तावेजों से मिलान के उपरांत ही स्थान परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(2) महाविद्यालय का नाम परिवर्तन

महाविद्यालय प्रारंभ होने के तीन वर्ष पश्चात् संपूर्ण संचालन अवधि में नाम परिवर्तन का मात्र एक अवसर प्रदान किया जावेगा। महाविद्यालय प्रारंभ होने के पश्चात् समिति यदि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करना चाहती है तो इस हेतु समिति को पंजीकृत समिति का ठहराव प्रस्ताव, रूपये 50/–का शपथ पत्र की मूल प्रति तथा राशि रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का मूल चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य परिषद से संबंधित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में परिषद से संबंधित नियम लागू रहेगें।

(3) महाविद्यालय की समिति में परिवर्तन

(अ) समिति परिवर्तन के संबंध में यदि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा पूर्व के पंजीकृत सदस्यों के नामों में परिवर्तन करते हुए नवीन नामों का मनोनयन किया जाता है तो नवीन अनुमोदित सूची इस कर्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तदनुसार संशोधित समिति ही महाविद्यालय संचालन हेतु मान्य होगी।

(ब) समिति के नाम में यदि समिति रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी से संशोधन कराती है तो, रूपये 50/–का शपथ पत्र, राशि रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का मूल चालान एवं संशोधित समिति के नाम से समस्त चल अचल संपत्ति के दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय, किसी अन्य समिति को हस्तांतरण करने बाबत् रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के नियम लागू रहेंगे।

(4) **इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग न करने बाबत्**

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक–डी0ओ0न0–23/24/2005–आई0टी0, दिनांक–7/3/06 एवं मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 19/40/2006/1/4, दिनांक 10.4.06 द्वारा अशासकीय संस्थाओं के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। अतः समिति/महाविद्यालय के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का प्रयोग नहीं किया जावे। इंडियन एवं नेशनल शब्द के नाम के आवेदन मान्य योग्य नहीं होगें । इसके लिये समिति स्वयं जिम्मेदार होगी ।

किसी भी जाति विशेष के नाम पर महाविद्यालय का नाम नहीं रखा जा सकेगा। इस बारे में आयुक्त,उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

(5) **महाविद्यालयों के बोर्ड पर अंकित अनावश्यक/भ्रमित जानकारी न देने बाबत्**

महाविद्यालय के बिल्डिंग पर लगाये बोर्ड पर केन्द्रीय परिषद/राज्य परिषद/विश्वविद्यालय की मान्यता का उल्लेख के अलावा अन्य भ्रमित एवं अनियमित अनुशंसायॅ/अग्रेषण लिखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

(6) राज्य शासन के आदेश क्रमांक 1–4/2013/ई.स्था.–38/रासेयो दिनांक 30.3.2013 के तारतम्य मे अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित इकाई खोलना/प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। (इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

(7) **अन्य दिशा–निर्देश**

ए– समिति यदि मूल ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करती है तो उसे ठहराव प्रस्ताव की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बी– महाविद्यालयों को एक बार अनुमति/अनुशंसा पत्र मिलने के पश्चात् केवल उन्हीं प्रकरणों में दुबारा आवेदन करना होगा जहॉ वे उत्तरवर्ती कक्षाओं अथवा नवीन विषयों में कक्षाएॅ

प्रारंभ करना चाहते है अन्यथा एक बार दी गई अनुमति अनुशंसा पत्र महाविद्यालय के संचालन अवधि तक मान्य रहेगी।

सी– आयुक्त,उच्च शिक्षा का अनुशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् समिति को अनुमति/संबंद्धता हेतु नियमानुसार विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त होने पर ही समिति द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की पात्रता होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश राज्य शासन द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर द्वारा निर्धारित तारीख तक ही दिये जा सकेंगे।

डी– समय समय पर कॉलेज का निरीक्षण करने का अधिकार राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को होगा। यह निरीक्षण रेग्युलेटरी कमेटी के द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के अतिरिक्त होगा। किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर या अनुमति की शर्तो का पालन न करने पर दी गई अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी तथा जमा चल सम्पत्ति की राशि शासन के पक्ष में दण्डस्वरूप राजसात की जावेगी।

ई– यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पूरी अनुमतियां प्राप्त करने के पूर्व यदि कोई समिति प्रवेश देती है तो उसकी मान्यता निरस्त कर चल एवं अचल सम्पत्ति के रूप में जमा प्रतिभूति राजसात (Time barred)करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

एफ– पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रतिस्थापित शर्तो की पूर्ति होने पर ही आगामी सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना संभव होगा।

जी– समस्त अशासकीय महाविद्यालय अपनी स्वयं की बेबसाइट निर्मित करेंगे तथा समय–समय पर उसे अद्यतन भी करेंगे।

एच– इसके अतिरिक्त पूर्तियॉ न पाये जाने पर अथवा गलत/असत्य हलफनामा दिये जाने के परिणाम स्वरूप समिति/संस्था के समस्त सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जावेगा।

आई– समिति को निम्न तीनों बिन्दुओं की पूर्ति कार्यालय द्वारा अनुमति प्राप्त होने के एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा महाविद्यालय का नाम आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा :–

क–पुस्तकों की सूची/देयक
ख–कम्प्युटर, प्रयोगशाला उपकरणों के देयक
ग–शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की सूची

जे– समिति विद्यमान महाविद्यालय भवन के निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि करती है तो वृद्धि संबंधी मूल दस्तावेजों को संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–1

विद्यमान महाविद्यालयों में निरंतरता/नवीन पाठ्यकम हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज

चेकलिस्ट

क.	प्रयोजन (पाठ्यकम)	विवरण	संलग्न है/संलग्न नहीं/लागू नहीं
1.	नवीन एवं निरंतरता	आवेदित पाठ्यकमों एवं पूर्व संचालित पाठ्यकमों का निरंतरता हेतु निर्धारित शुल्क (मूल चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य है)	
2.	नवीन एवं निरंतरता	100/– रूपये का शपथ पत्र (मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) **परिशिष्ट–6**	
3.	निरंतरता	विगत वर्षो में यदि सशर्त अनुमति दी गई हो तो उनकी पूर्ति संबंधी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा ।	
4.	निरंतरता	विश्वविद्यालय की गत सत्र की संबंद्धता की प्रति।	
5.	नवीन एवं निरंतरता	वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट ।	
6.	निरंतरता	महाविद्यालय के गत सत्र का परीक्षा परिणाम एवं आनलाईन प्रवेशित छात्रों की सूची/संख्या।	
7.	निरंतरता	गत वर्ष की आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अनुमति की छायाप्रति।	
8.	नवीन एवं निरंतरता	सत्र 2008–09 के पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा जीवित संयुक्त एफडीआर की सत्यापित प्रति।	
9.	नवीन एवं निरंतरता	कालेज कोड–28 के अंतर्गत वि0वि0 द्वारा किया गया अनुमोदन की प्रति एवं समिति द्वारा की गई नियुक्ति पत्र एवं पदभार ग्रहण करने की जानकारी के साथ, संकायवार सदस्यों के नाम, फोटो एवं डिग्री की अभिप्रमाणित प्रति	
10.	नवीन एवं निरंतरता	महाविद्यालय संचालित होने के दिनांक से वर्तमान सत्र तक संचालित पाठ्यकमों की सूची।	

11.	नवीन एवं निरंतरता	महाविद्यालयों के समस्त स्टाफ के वेतन भत्तें एवं अन्य भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
12.	नवीन	महाविद्यालय भवन में निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि संबंधी दस्तावेजों को संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापित करा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
13.	नवीन एवं निरंतरता	छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण।	
14.	नवीन एवं निरंतरता	महाविद्यालयों में आवेदित संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र।	
15.	नवीन एवं निरंतरता	रजिस्टर्ड सोसायटी / ट्रस्ट के पदाधिकारियों / सदस्यों के हस्ताक्षर की अभिप्रमाणित अद्यतन सूची भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगी।	
16.	नवीन एवं निरंतरता	समिति परिवर्तन के संबंध में यदि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा पूर्व के पंजीकृत सदस्यों के नामों में परिवर्तन करती है या नवीन नामों का मनोनयन किया जाता है तो नवीन अनुमोदित सूची एवं धारा–27 की प्रति।	
17.	नवीन एवं निरंतरता	राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित ईकाई खोलना / प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
18	नवीन एवं निरंतरता	समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने पर ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव सहित भवन निर्माण की अनुमति एवं भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
19	नवीन	नवीन आवेदित पाठ्यक्रमों हेतु उस क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश होने संबंधी प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रमाण पत्र	
20	नवीन	नवीन आवेदित पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यादेश / विषय समूह की प्रति	
21	नवीन	नवीन आवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र	

हस्ताक्षर प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय　　　　　　　　　हस्ताक्षर समिति अध्यक्ष/सचिव

परिशिष्ट–2

नवीन महाविद्यालयों हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट

क.	प्रयोजन पाठ्यक्रम	विवरण	संलग्न है/संलग्न नहीं/लागू नहीं
1.	नवीन	समिति द्वारा निर्धारित नवीन महाविद्यालय एवं आवेदित पाठ्यक्रम शुल्क के चालानों की मूल प्रति जिस पर आवेदित पाठ्यक्रम एवं उच्च शिक्षा का कोषालय शीर्ष अंकित हो प्रस्तुत करें।(मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)	
2.	नवीन	रूपये 100/–का शपथ पत्र (मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) **परिशिष्ट–6**	
3.	नवीन	समिति का रजिस्ट्रार, फर्म एंव संस्थाएँ का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
4.	नवीन	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ से अनुमोदित समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की हस्ताक्षर सहित सूची तथा समिति के बायलॉज एवं धारा–27 की प्रति।	
5.	नवीन	समिति/ट्रस्ट पंजीयन की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापपित प्रति	
6.	नवीन	स्वयं का भवन होने पर अचल सम्पत्ति के दान पत्र/विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की छायाप्रति एंव राजस्व अभिलेखों खसरा पांच साला/किश्तबंदी खतौनी/फार्म बी–1–द की प्रति। अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण खसरा, डायवर्सन, भवन निर्माण की अनुमति भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र, भवन का निर्मित क्षेत्रफल के दस्तावेज एवं धारा–21 की अनुमति, भवन का शासकीय निकाय से अनुमोदित नक्शा आदि	
7.	नवीन	30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीजडीड होने पर भवन के शैक्षणिक डायवर्सन का प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र का कमांक व दिनांक तथा भवन का निर्मित क्षेत्रफल, आदि का रजिस्टर्ड लीजडीड में उल्लेख होना अथवा तत्संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियॉ।	

8.	नवीन	किराये का भवन होने पर समिति के नाम से 03 वर्ष का रजिस्टर्ड किरायानामा एवं महाविद्यालय स्तर से 05 कि0मी0 की परिधि में नगरीय क्षेत्र में 02 तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 05 एकड भूमि के सत्यापित रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं महाविद्यालय स्थल से भूमि दूरी संबंधी शासकीय अग्रणी महाविद्यालय का प्रमाण पत्र। **परिशिष्ट–3**	
9.	नवीन	आवेदित पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित आर्डिनेंस/विषय समूह की प्रति।	
10.	नवीन	महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किये जाने पर सरपंच का प्रमाण, समिति के सचिव का शपथ पत्र एवं तहसीलदार का प्रमाण पत्र। **परिशिष्ट–8**	
11.	नवीन	महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में संचालित किये जाने पर आदिवासी क्षेत्र का संबंधित जिले के कलेक्टर का प्रमाण पत्र ।	
12.	नवीन	अन्य परिषद से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित परिषद की अनुमति प्राप्त कर उसकी सत्यापित प्रति।	
13.	नवीन	समिति के गत वर्ष अंकेक्षित आय–व्यय विवरण (बैलेन्स शीट)।	
14.	नवीन	महाविद्यालयों में आवेदित संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र।	
15.	नवीन	प्रस्तावित महाविद्यालय स्थल से 20 कि0मी0 की परिधि में कोई भी अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होने का कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र। **परिशिष्ट–2 एवं 3**	
16.		राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित ईकाई खोलना/प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
17.	नवीन	समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने पर ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव सहित भवन निर्माण की अनुमति एवं भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
18.	नवीन	महाविद्यालय भवन में स्वयं का खेल मैदान उपलब्ध होने का प्रमाण अथवा न होने पर प्रस्तावित महाविद्यालय भवन से 02 किमी परिधि में खेल मैदान की उपलब्धता का प्रमाण।	
19.	नवीन	नवीन आवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र	

हस्ताक्षर प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय   हस्ताक्षर समिति अध्यक्ष/सचिव

परिशिष्ट–3

अन्य अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होने एवं भूमि संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारूप

(मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.2 (स))

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नवीन महा0 ....पूर्ण पता.. .... जो समिति .... द्वारा किराये के भवन में प्रस्तावित है, उक्त प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की तहसील/विकासखंड/ जिले में कोई भी अन्य अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। साथ ही प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय के किराये का भवन ....क्षेत्र (नगरीय /ग्रामीण) है तथा महाविद्यालय स्थल से 5 किलोमीटर की परिधि में 2 एकड़ भूमि नगरीय क्षेत्र में/ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि समिति के नाम से उपलब्ध है। भूमि संबंधी आवश्यक भू–अभिलेखों का सत्यापन किया गया है।

दिनांक ....

स्थान..........................

नोट : जो लागू हो चिन्हित करें।

प्राचार्य,

शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,

जिला ....म0प्र0

परिशिष्ट–4

20/10 किलोमीटर की परिधि में अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होने का प्रमाण पत्र

(मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.5 (क))

प्रमाणित किया जाता है कि समिति .... (समिति का नाम) द्वारा प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय ....पूर्ण पता .... के स्थल से 20 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।

अथवा

आदिवासी तथा अनुसूचित क्षेत्रों/कन्या महाविद्यालयों/पूर्ण आवासीय या न्यूनतम 200 सीटों वाले छात्रावासयुक्त महाविद्यालयों के लिये 10 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।

अथवा

निम्नानुसार अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं –

स.क्र.	अशासकीय महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थल से दूरी (किमी में)

दिनांक ....

कलेक्टर/अधिकृत राजस्व अधिकारी

जिला,....................

................म0प्र0

परिशिष्ट–5

20/10 किलोमीटर की परिधि में अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों/विषय समूहों की जानकारी का प्रमाण पत्र

(मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.5 (क))

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नवीन महा0 ....पूर्ण पता.. .... जो समिति ....के प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम/विषय समूह 1..... ....2.......................3........................4............... स्थल से 20 किलोमीटर की परिधि में अन्य विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित नहीं हैं।

अथवा

आदिवासी तथा अनुसूचित क्षेत्रों/कन्या महाविद्यालयों/पूर्ण आवासीय या न्यूनतम 200 सीटों वाले छात्रावासयुक्त प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम/विषय समूह 1.........................2......................3.......................4.............. स्थल से 10 किलोमीटर की परिधि में अन्य विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित नहीं हैं।

अथवा

निम्नानुसार अशासकीय महाविद्यालयों में प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय में आवेदित पाठ्यक्रम/विषय समूह संचालित हैं –

स.क्र.	अशासकीय महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम / विषय समूह

दिनांक ....

प्राचार्य,

शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,

................म0प्र0

परिशिष्ट–6

शपथ–पत्र का प्रारूप

(100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी सही है और वर्तमान में समिति की आर्थिक स्थिति मजबूत है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं तथा मैनें स्वयं इसकी जांच कर ली है। जानकारी असत्य पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी। समिति द्वारा समस्त अनुमतियां प्राप्त होने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा तथा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित इकाई नियमानुसार प्रारंभ की जायेगी।

....

....

सचिव के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा तारीख :
तथा पूर्ण पता

अध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा
तथा पूर्ण पता

परिशिष्ट–7

शुल्क वापसी हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप

(50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र के साथ आवेदित नवीन महाविद्यालय/पाठ्यकम हेतु राशि रूपये............... कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराई गई थी, जिसकी मूल प्रति आवेदन के संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की गई है। आवेदन अमान्य किये जाने/मेरे द्वारा वापस लिये जाने से शुल्क वापसी प्रार्थित है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं तथा मैनें स्वयं इसकी जांच कर ली है। जानकारी असत्य पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।

....

....

सचिव के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा तारीख :

तथा पूर्ण पता

....

....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा

तथा पूर्ण पता

परिशिष्ट–8

<u>ग्रामीण क्षेत्र में नवीन अशासकीय महाविद्यालय संचालित करने संबंधी प्रमाण पत्र</u>

(50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

(मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.6 (2))

प्रमाणित किया जाता है कि समिति/ट्रस्ट .... (समिति का नाम) द्वारा प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय ....पूर्ण पता ....स्थल ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित है।

दिनांक ....

अध्यक्ष/सचिव, समिति/ट्रस्ट
....

सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत....................................

अभिप्रमाणीकरण

(तहसीलदार/नायब तहसीलदार)

परिशिष्ट–9

चालान फार्म का नमूना

FORM M.P.T.C. 7 M. K. Industries BPL

(See Subsidiary Rule 69)

चालान क्रमांक/CHALAN NO.

खजाना/उप–खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पैसा जमा करने का चालान

Chalan of cash paid into the Treasury/Sub-Treasury/State/Reserve Bank of India

at M.P.NAGAR BRANCH

To be filled in by the Remitter पैसा जमा करने वाले ने लिखना चाहिए					To be filled in by the Departmental officer or the Treasury office विभागीय या खजाना अधिकारी ने लिखना चाहिए		
by whom tendered कौन लाया	Name and designation and address of the person on whose behalf money is paid उसका नाम (या ओहदा व पता जिसकी) और से पैसा जमा किया जा रहा है	Full particulars of the remittance and/or the authority (if any) किस दावत जैसा जमा किया जा रहा है उनका पूरा विवरण	Amount रकम		Head of Account लेखा शीर्ष	Accounts Officer by whom adjustable लेखा अधिकारी जिनसे समायोजन किया	Order to the Bank बैंक को आदेश
1	2	3	4		5	6	7
Name नाम EXTOL INSTITUTE OF MANAGEMENT	EXTOL INSTITUTE OF MANAGEMENT EXTOL TOWER, NEAR LILY CINEMA, BHOPAL PIN. 462008	[handwritten, partly illegible]	Rs. रु. 50,000 Total कुल 50,000	P. पै. 00 00	[handwritten] ... उच्च शिक्षा ...		Date 27/8/02 Correct. Receive & grant receipt (sig. & full designation of the officer ordering the money to be paid in)

Words Rupees (शब्दों में रुपए) पचास हजार रु मात्र।

To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer

Received Treasury | Payment (in words) Rupees Account | Date | Treasury Officer/Agent

<u>उच्च शिक्षा विभाग की</u>

<u>वेबसाइट</u>

www.highereducation.mp.gov.in

नवीन महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रम शुल्क बैंक में जमा करने का

चालान हेड (शीर्ष)

0202– शिक्षा/खेल/कला एवं संस्कृति

01– सामान्य शिक्षा

103– विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा/अन्य शुल्क/संबंद्धता शुल्क

मार्गदर्शिका : सत्र 2016–17

नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

(Guidelines regarding opening of New Non Govt. Colleges / New Faculties / New Subjects and Continuation of Running Courses)

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग